समेकित बाल विकास सेवा योजना

एक नए समाज की ओर

सत्यमेव जयते

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

निदेशालय महिला एवं बाल विकास हि0 प्र0

द्वारा

संचालित योजनाओं का

''सार– संग्रह''

विषय सूची

भाग-I

		पृष्ठ सं0
बच्चों व किशोरियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं		
क. राज्य योजनाएं		1
1.	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना–2016	2–3
2.	हिमाचल प्रदेश बाल/बालिका सुरक्षा योजना–2012	4
3.	बेटी है अनमोल योजना	5
4	सक्षम गुड़िया बोर्ड हि.प्र.	6
ख. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
1.	अम्बरेला ''समेकित बाल विकास सेवाएं'' योजना के अर्न्तगत ''आंगनबाड़ी सेवाएं'' उप–योजना	7–8
2.	अम्बरेला ''समेकित बाल विकास सेवाएं'' योजना के अन्तर्गत ''बाल संरक्षण सेवाएं'' उप–योजना	9–11
3.	किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम–2015 के अन्तर्गत विधि विरोधी बालकों के लिए संस्थान	12
4.	दत्तक ग्रहण संबन्धी संस्थान / एजेंसी	13
5.	राष्ट्रीय पोषण अभियान	14
6.	राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला)	15
7	बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना	16

भाग–2

महिलाओं के कल्याण हेतु योजनाएं		
क) राज्य योजनाएं		17
1.	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	18
2.	विधवा पुनर्विवाह योजना	19
3.	मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना	20
4.	स्वयं सहायता समूह	21
5.	नारी सेवा सदन	22
6.	स्वयं रोज़गार हेतु सहायता	23
7.	विशेष महिला उत्थान योजना	24

8.	बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवाएं योजना–2012	25
9.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना–2013	26
10.	सशक्त महिला योजना	27
11.	महिला कल्याण बोर्ड	28

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1.	कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण/विस्तार	29
2.	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना	30
3.	वन स्टॉप सेन्टर	31
4.	महिला शक्ति केंद्र	32

भाग–3

निदेशालय महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित अन्य संस्थान		
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग	34
2.	हि0 प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग	35
3.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	36–37
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद	38
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड	39

भाग–4 अन्य

1.	निदेशालय महिला एवं बाल विकास द्वारा बच्चों व महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यान्वित केन्द्रीय/राज्य अधिनियम	41
2.	राष्ट्रीय पुरस्कार	42
3.	राज्य पुरस्कार	42
4.	बच्चों व महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही नीतियां	43
5.	दूरभाष सम्पर्क	44–47

भाग–1

बच्चों व किशोरियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

क) राज्य योजनाएं

1. मुख्य मन्त्री बाल उद्धार योजना–2016
Mukhya Mantri Bal Udhar Yojna-2016

उद्देश्यः बेसहारा बच्चों, अनाथ बच्चों जिन्हें देख–रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें बाल गृहों में प्रवेश देकर निःशुल्क रहने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् पुनर्वास इत्यादि सुविधायें प्रदान करके उन्हें आत्म–निर्भर बनाना।

सहायताः निःशुल्क रहने की व्यवस्था, 10+2 तक शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि।

पात्रताः 6 वर्ष से अधिक आयु के देख–रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो या बेसहारा बच्चे जिनके माता–पिता का पता मालूम न हो या जिनके माता–पिता जेल काट रहे हों या जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो तथा माता ने दूसरी शादी कर ली हो, आदि।

प्रवेश हेतु प्रक्रियाः पात्र बाल/बालिकाओं के संरक्षक संबन्धित जिलाधीश की सिफारिश सहित मामला निदेशक, महिला एवं बाल विकास को भेजते हैं जो ऐसे बच्चों को विभाग द्वारा संचालित या विभागीय अनुदान से स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित बाल / बालिका गृहों में प्रवेश देते हैं।

विभाग द्वारा संचालित बाल/ बालिका गृह

- प्रथम से आठवीं कक्षा तक के बच्चों हेतु बाल गृह मसली (शिमला) ।
- नवीं से जमा दो कक्षा तक के बच्चों हेतु बालिका गृह मशोबरा स्थित टूटीकण्डी (शिमला) तथा बाल गृह टूटीकण्डी स्थित अर्की, जिला सोलन ।
- प्रथम से दस जमा दो कक्षा तक के बच्चों हेतु बाल गृह साहू (चम्बा), बाल गृह सुजानपुर टीहरा (हमीरपुर), बाल / बालिका गृह किलाड़ (पांगी, जिला चम्बा), बालिका गृह गरली–प्रागपुर (कांगड़ा), बालिका गृह सुन्दरनगर (मण्डी) एवं विशेष योग्यता वाली बालिकाओं के लिए संस्थान सुंदरनगर (मण्डी) ।

विभागीय अनुदान से स्वयं सेवी सस्थाओं के माध्यम से संचालित बाल/ बालिका गृह

(i) हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद्

- नवीं से जमा दो कक्षा तक के बच्चों हेतु बाल गृह सराहन (शिमला)
- प्रथम से आठवीं कक्षा तक के बच्चों हेतु बाल गृह मैहला (चम्बा), बालिका गृह सुन्नी (शिमला) ।
- प्रथम से दस जमा दो कक्षा तक के बच्चों हेतु बाल गृह कलहैली (कुल्लू), चिल्ली–तीसा (चम्बा) और कल्पा (किन्नौर) तथा विशेष योग्यता वाले (मूक–बधिर एवं दृष्टि–बाधित) बच्चों के लिए संस्थान, ढली, (शिमला) ।
- छठी से दस जमा दो कक्षा तक के अस्थि दोष वाले बच्चों के लिए संस्थान, दाड़ी (धर्मशाला) जिला कांगड़ा ।

(ii) कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि शिमला

- प्रथम से आठवीं कक्षा तक के बच्चों हेतु बाल गृह रौक–वुड शिमला एवं बालिका गृह दुर्गापुर शिमला।

(iii) महिला कल्याण मण्डल चम्बा

- प्रथम से दसवीं कक्षा तक की बालिकाओं हेतु बालिका गृह चम्बा

(iv) दीन बन्धु सेवा मंडल, भरनाल सरकाघाट (मण्डी)

- प्रथम से आठवीं कक्षा तक के बच्चों हेतु बाल गृह भरनाल (**मण्डी)**

(v) दिव्य मानव ज्योति अनाथालय ट्रस्ट डैहर (मण्डी)

- प्रथम से दस जमा दो कक्षा तक के बच्चों हेतु बाल गृह डैहर

(vi) शान्ति निकेतन चिल्ड्रन होम ट्रस्ट, सुबाठू, जिला सोलन ।

- शान्ति निकेतन बाल गृह सुबाठू, जिला सोलन ।

(vii) सहयोग बाल श्रवण विकलांग कल्याण समिति नागचला, जिला मण्डी ।

- विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए संस्थान, नागचला, जिला मण्डी

(viii) पालमपुर रौटरी आई फॉऊंडेशन ।

- रामा नंद गोपाल रौटरी हॉस्टल, सल्याणा, त0 पालमपुर, जिला कांगड़ा

(ix) दार–उल फज़ल चिल्ड्रन सोसाईटी, कुल्लू ।

- दार–उल फज़ल बाल गृह शुरू (कुल्लू)

(x) इन्स्टीट्यूट ऑफ सिस्टर ऑफ चैरिटी ऊना।

- प्रेम आश्रम ऊना

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी ।

2. हिमाचल प्रदेश बाल/बालिका सुरक्षा योजना–2012
Himachal Pradesh Bal/Balika Suraksha Yojna-2012

उद्देश्य : अनाथ व असहाय बाल/बालिकाओं को सम्पन्न पारिवारिक वातावरण में पालने हेतु रखा जाना, ताकि उन्हें बाल गृहों मे प्रवेश हेतु बाध्य न होना पड़े।

पात्रता : दम्पत्ति एवं लाभान्वित बच्चा दोनों हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों, दम्पत्ति परिवार की मासिक आय 5000/– से कम न हो । मातृवंश एवं पितृवंश में आय की कोई सीमा शर्त लागू नहीं होती है ।

सहायता राशि : पालना दम्पत्ति/परिवार को बच्चे के पालन–पोषण के लिए 2000/– रु0 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता (बाल संरक्षण सेवायें योजना के अन्तर्गत) । इसके अतिरिक्त बच्चें को 300/– रु0 प्रतिमाह की दर से राज्य सरकार के बजट से आर्थिक सहायता दी जाती है जो बैंक या डाकघर में उसके नाम जमा किए जाते है तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आहरित किए जा सकते हैं ।

आवेदन हेतु प्रक्रिया : सहायता राशि प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित जिला बाल संरक्ष्ण को हिमाचली प्रमाण–पत्र, आयु प्रमाण– पत्र, आय प्रमाण–पत्र, चिकित्सा प्रमाण–पत्र, दम्पत्ति के फोटो तथा जिला बाल कल्याण समिति के अनुमोदन सहित आवेदन करना होता है ।

सम्पर्क अधिकारी/कर्मचारी : सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला बाल संरक्षण अधिकारी ।

3. बेटी है अनमोल योजना
Beti Hai Anmol Yojna

उद्देश्यः महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना और बालिका जन्म को अभिशाप न माना जाए, इस बारे प्रयास करना।

पात्रताः ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे गरीबी रेखा से नीचे व बी0पी0एल0 परिवारों मे जन्मीं अधिकतम दो बालिकाएं ।

प्रक्रियाः गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों में जन्मी बालिकाओं के माता–पिता को निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी को देना होगा ।

सहायताः बालिका के नाम पर 12,000 रुपये की धनराशि बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करवाई जाती है तथा उसके 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पूर्ण राशि ब्याज सहित दी जाती है । इसके अतिरिक्त बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित दरों पर छात्रवृत्ति दी जाती है :–

प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा तक	450/– रुपये प्रति वर्ष
चतुर्थ कक्षा में	750/– रुपये प्रति वर्ष
पांचवीं कक्षा में	900/– रुपये प्रति वर्ष
छठी एवं सातवीं कक्षा में	1050/– रुपये प्रति वर्ष
आठवीं कक्षा में	1200/– रुपये प्रति वर्ष
नौवीं एवं दसवीं कक्षा में	1500/– रुपये प्रति वर्ष
10+1 और 10+ 2	2250/– रुपये प्रति वर्ष
स्नातक	5000/– रूपये प्रति वर्ष

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ।

4. सक्षम गुड़िया बोर्ड़
(Saksham Gudiya Board)

पृश्ठभूमिः– हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं को सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु सक्षम गुड़िया बोर्ड हि.प्र. का गठन किया गया। बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में हि.प्र. सरकार का पहला सार्थक प्रयास है, यह बोर्ड न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे भारत वर्ष में बालिकाओं को सक्षम बनाने के लिए हि.प्र. सरकार द्वारा पहला बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा बालिकाओं/महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को सूचिबð कर समय–समय पर समिक्षा/अनुश्रवण करना शामिल होगा। दिनांक 31 जुलाई 2018 को सक्षम गुड़िया बार्ड़ के गठन की अधिसूचना जारी की गई तथा श्रीमती रुपा शर्मा को सक्षम गुड़िया बार्ड का पहला उपाध्यक्ष हि.प्र. सरकार द्वारा नामित किया गया।

उद्देश्यः–

1. बालिकाओं/किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश सरकार को सिफारिश भेजना।
2. बालिकाओं/किशोरियों की सुरक्षा से संबधित नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रदेश सरकार को अनुशंसा भेजना।
3. बालिकाओं/किशोरियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा करना।
4. बालिकाओं/किशोरियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार–अपराधों को रोकने हेतु प्रदेश सरकार को सुझाव भेजना।

अवधि/बैठकः सक्षम गुड़िया बोर्ड हि.प्र. की अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई है व बोर्ड द्वारा वर्ष में 2 बार बैठक किया जाना आवश्यक है।

सम्पर्कः एस0आर0सी0डब्ल्यू0, निदेशालय महिला एवं बाल विकास हि.प्र. ।

ख. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. अम्बरेला ''समेकित बाल विकास सेवाएं'' योजना के अन्तर्गत ''आंगनबाड़ी सेवाएं''

उप–योजना

Anganwadi Services Sub-Scheme under Umbrella Integrated Child Development Services Scheme.

उद्देश्य :

- 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
- बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व सामाजिक विकास की नींव रखना ।
- बीमारी, कुपोषण की रोकथाम व बच्चों में स्कूल छोड़ने की प्रवृति को कम करना ।
- बाल विकास को बढ़ावा देने व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्य विभागों/एजेन्सीज के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- उचित पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य सम्बन्धित जरुरतों की उचित देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना।

पात्रता : 0–6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व दूध पिलाने वाली माताएं, 11–18 आयु वर्ग की किशोरियां तथा समुदाय के अन्य सदस्य ।

प्रक्रिया : आंगनबाडी केन्द्र के माध्यम से सेवायें प्रदान करने के लिए 300 की न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र व 150 की न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्रों में मिनि आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत होने के पश्चात सभी लाभभोगियों का आंगनबाडी केन्द्र मे पंजीकरण करना । आंगनबाडी केन्द्र खोलने के लिए पंचायती राज सस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

सहायता: आंगनबाडी केन्द्र में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, धात्री, गर्भवती माताओं एवं बी0पी0एल0 किशोरियों को पूरक पोषाहार, 3–6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच की सुविधा, पोषाहार व स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी व गम्भीर कुपोषण तथा बीमारी की दशा में उचित स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रभावित महिला अथवा बच्चों को चिकित्सालय मे रेफर करना।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 8.00 रू0 प्रति बच्चा प्रति दिन, 9.50 रू0 प्रति गर्भवती /धात्री माता व 9.50 रु प्रति 11–14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को प्रतिदिन की दर से पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। अति अल्प वजन बच्चों के लिए पूरक पोषाहार 12.00 रु0 प्रतिदिन प्रति बच्चा की दर से प्रदान किया जाता है, जिसके लिए आंगनवाड़ी क्षेत्र में आने वाले पात्र बच्चों/माताओं व 11–14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों का आगंनवाडी केन्द्र में पंजीकरण आवश्यक है।

सम्पर्क अधिकारी: जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम
Supplementary Nutrition Programme

समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 78 विकास खण्डों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा 11 से 14 वर्ष की पाठशाला छोड़ चुकी किशोरियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पूरक पोषाहार माताओं एवं बच्चों के लिए प्रतिदिन की वांछित आहार मात्रा व वास्तव में जो उन्हें अपने सामान्य आहार से उपलब्ध हो पाता है, के बीच में रहने वाले अन्तराल को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों व महिलाओं के पोषाहार व स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अच्छे स्वास्थ्य व पोषण के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है तथा उन्हें अपने बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने के लिए सक्षम बनाया जाता है। पूरक पोषाहार भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्न मानकों एवं दरों के अनुसार प्रदान किया जाता है :

क्र0सं0	लाभार्थी	पोषाहार की दर प्रति लाभार्थी प्रतिदिन (रुपयों में)	पोषाहार के मानक प्रति लाभार्थी प्रतिदिन	
			प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
1.	6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे	8.00	12–15	500
2.	गर्भवती व धात्री माताएं	9.50	18–20	600
3.	अति अल्प वजन बच्चे	12.00	20–25	800
4.	11 से 14 वर्ष की पाठशाला छोड़ चुकी किशोरियां	9.50	18–20	600

पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय वहन राज्य एवं केन्द्रीय हिस्सा 90:10 के अनुसार होता है।

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

2. अम्बरेला 'समेकित बाल विकास सेवाएं' योजना के अन्तर्गत 'बाल संरक्षण सेवाएं' उप–योजना 'Child Protection Services' sub-scheme under Umbrella 'Integrated Child Development Services' Scheme.

हिमाचल प्रदेश में 'बाल संरक्षण सेवाएं' योजना (30–11–2017 तक इस योजना का नाम 'समेकित बाल संरक्षण योजना' था) का आरम्भ दिनांक 18–09–2012 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुभेद्यता में कमी लाने में योगदान देना, जो बच्चों के साथ दुर्व्यव्हार, उपेक्षा, शोषण, उन्हें बेसहारा छोड़ देने तथा अलग कर देने की ओर जाते है। इसे अग्रलिखित द्वारा अर्जित किया जाएगा।

i. बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच और उनकी बेहतर गुणवता;
ii. बाल अधिकारों की वास्तविकता, भारत में उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि;
iii. बाल सरंक्षण की स्पष्ट जवाबदेही और प्रबलित दायित्व;
iv. कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को वैधानिक और सहायक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्तरों पर सुस्थापित और कार्यशैली संरचना;
v. प्रचालन साक्ष्य पर आधारित निगरानी और मूल्यांकन करना।

योजना के विशिष्ट उद्देश्यः–

i. अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण।
ii. सभी स्तरों पर क्षमताएं बढ़ाना।
iii. बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और ज्ञान आधार सृजन करना।
iv. परिवार और समुदाय स्तर पर बाल सरंक्षण का सुदृढ़ीकरण।
v. सभी स्तरों पर उपयुक्त अंतर–क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
vi. सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।

बाल संरक्षण सेवाएं (सी0पी0एस0) योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है इसलिए हिमाचल सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में दिनांक 27–01–2011 को ज्ञापन समझौता (MOU) हस्ताक्षरित किया गया ताकि योजना का क्रियान्वयन किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित इकाईयों को स्थापित किया गया हैः–

1. राज्य बाल संरक्षण संस्था हिमाचल प्रदेश में दिनांक 28–02–2012 को हिमाचल प्रदेश संस्था पंजीकरण अधिनियम–2006 के अंर्तगत पंजीकृत किया गया और 18 सितंबर 2012 को राज्य बाल संरक्षण संस्था ने कार्य शुरू कर दिया।

2. राज्य परियोजना सहायक यूनिट की स्थापना 18 सिंतबर 2012 में की गई और इसकी भूमिका निम्न प्रकार से है :–

i. राज्य में बाल संरक्षण सेवायें योजना का क्रियान्वयन आरम्भ करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना;

ii. बाल संरक्षण सेवायें योजना (सी0 पी0 एस0) के अंतर्गत संकल्पित अपेक्षित संगठनों तथा बाल सरंक्षण प्रक्रमों अर्थात राज्य बाल संरक्षण संस्था, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल सरंक्षण संस्था, दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरण(ए0 सी0 ए0) विशेष दत्तक ग्रहण

अभिकरण (एस0 ए0 ए0) जिला बाल सरंक्षण समिति (डी0 सी0 पी0 एस0) इत्यादि की स्थापना को सुनिश्चत करना;

iii. जिलों में बाल संरक्षण संस्थाओं की स्थिति तथा उनके कार्यकरण के प्रमुख तत्वों के बारे में राज्य स्तरीय सूचना का संग्रहण, संकलन करना तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन करना;

iv. जिला बाल सरंक्षण संस्था की सहायता से एक राज्य स्तरीय बाल ट्रैकिंग प्रणाली तथा खो गए बच्चों की वेबसाइट की स्थापना तथा प्रंबधन को सुनिश्चत करना;

v. चयनित जिलों में आधार रेखा सर्वेक्षण करना जहां आवश्यक हो, कार्यक्रम सुधार के प्रयोजनार्थ आई0सी0पी0एस के प्रभाव के आंकलन हेतु अनुवर्तन करना;

vi. राज्य सरकार के संबद्ध विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों/पदाधिकारियों का प्रशिक्षण और सुग्राहीकरण का संचालन करना;

vii. सी0पी0एस0 के आरंभिक क्रियान्वयन के लिए केन्द्र में तथा चयनित राज्यों में तकनीकी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना;

viii सी0पी0एस0 संबंधी जागरूकता सृजन सामग्री का विकास तथा प्रसार करना;

ix सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रलेखन तथा प्रसार करना;

x. संपूर्ण राज्य में सी0 पी0 एस0 के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन करना ।

3. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण (एस0ए0आर0ए): राज्य में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की स्थापना 18–09–2012 को की गई है। इस अभिकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:–

i. राज्य में दतकग्रहण कार्यक्रम का समन्वयन, अनुवीक्षण तथा विकास।

ii. जहां विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण अस्तित्व में नहीं है, वहां दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरण का गठन सुसाध्य बनाना तथा मान्यता हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण को अनुशंसा करना।

iii. विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण के गठन, को कानूनी सहायता प्रदान करना तथा ऐसे अभिकरणों की एक व्यापक सूची का अनुरक्षण करना।

iv. सुनिश्चित करना कि बच्चों के समस्त दत्तकग्रहण/स्थायी व्यवस्थापन भारत के उच्चतम न्यायालय तथा भारत सरकार के कानूनों और दिशा–निर्देशों के अनुसार किए जाए।

v. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण के समन्वयन में देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देना तथा दत्तकग्रहण को विनियमित करना ।

vi. बाल ट्रैकिंग प्रणाली के भाग के रूप में जिला बाल संरक्षण समितियों तथा ए.सी.ए. की सहायता से दत्तकग्रहण योग्य बच्चों के एक केन्द्रीकृत (राज्य विशिष्ट) वेबाधित आंकड़ाधार का अनुरक्षण करना।

vii. जिला बाल संरक्षण समितियों तथा ए.सी.ए. की सहायता से दत्तक ग्रहण करने वाले संभावी माता–पिता के एक केन्द्रीकृत (राज्य विशिष्ट) वेबाधित आंकड़ाधार का अनुरक्षण करना।

viii. ए.सी.ए. तथा एस.ए.ए. के कार्य का पर्यवेक्षण करना तथा राज्य के भीतर उनका समन्वयन सुनिश्चित करना।

ix. सुनिश्चित करना कि सभी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता–पिता का पंजीकरण डी.सी.पी.एस./एस.ए.ए./ए.सी.ए./एस.ए.आर.ए. में हो गया है।

x. सी.ए.आर.ए. को मासिक आधार पर व्यापक दत्तकग्रहण आंकड़े उपलब्ध करवाना।

xi. सभी अभिकरणों तथा संबद्ध प्रणालियों की सुग्राहिता सुनिश्चित करना।

xii. दत्तक ग्रहण प्रणाली में कार्य करने वालों की क्षमता का वर्धन करना।

xiii. जब भी दत्तकग्रहण कार्यक्रम में कुव्यवहार घटित हो, चाहे वे लाइसेंसशुदा/मान्यताप्राप्त दत्तकग्रहण अभिकरणों द्वारा किए जाएं तथा गैर लाईसेंसशुदा व्यक्तियों अथवा संगठनों द्वारा किए जाएं, उनके विरूद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करना।

xiv. राज्य में दत्तकग्रहणं के संवर्धन के लिए प्रचार तथा जागरूकता का सृजन करना।

xv. आई.ई.सी. सामग्री का विकास तथा प्रसार करना।

4. **जिला बाल संरक्षण इकाईयां:** प्रदेश में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है।

5. प्रदेश में सभी जिलों में बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों का गठन किया जा चुका है। इन संस्थाओं में बच्चों के बारे में निर्णय लिये जाते हैं । बाल कल्याण समितियों में उन बच्चों को पेश किया जाता है जिनको देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है । इसी प्रकार किशोर न्याय बोर्डों में उन बच्चों को पेश किया जाता है जो अपराधित गतिविधियों में संलिप्त हैं।

6. प्रदेश में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, खण्ड स्तरीय और गांव स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा सी.पी.एस. योजना का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

7. प्रदेश में Child Track Portal की स्थापना की जा चुकी है। Portal में सभी बाल–गृहों में रह रहे बच्चों का विवरण डाला गया है। इसके इलावा इस Portal में बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों में प्रस्तुत बच्चों का विवरण डाला जा रहा है ताकि गुमशुदा बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके।

8. सी.पी.एस. योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं और जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है।

9. सी.पी.एस. योजना के अन्तर्गत संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए 46 बाल देखभाल संस्थानों का सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में संचालन किया जा रहा है ताकि बच्चों की देख–भाल एवं सुरक्षा हेतु संतुलित सेवाएं प्रदान की जा सकें ।

10. गैर संस्थागत सेवाओं के अन्तर्गत दत्तकग्रहण, अनुवर्ती देख–भाल पालन शिशु स्वागत केन्द्र और पालन–पोषण देख–भाल आदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ।

11. इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभाग एवं गैर–सरकारी संस्थाएं जो बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं उनके साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है । जैसे चाईल्ड लाईन, एन0 जी0 ओ0, शिक्षा विभाग आदि।

सम्पर्क अधिकारी: कार्यक्रम प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य बाल संरक्षण समिति, शिमला / संबन्धित जिला बाल संरक्षण अधिकारी ।

3. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं सरंक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत विधि विरोधी बालकों के लिए संस्थान

(i) संप्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी समूरकलां, ऊना ।
Observation Home-cum-Special Home-cum-Place of Safety Samorkalan, Una

(ii) संप्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी हीरानगर, नज़दीक टुटू, शिमला।
Observation Home-cum-Special Home-cum-Place of Safety Hiranagar, Near Totu, Shimla.

उद्देश्यः विधि के उल्लंघन करने वाले किशोरों को निःशुल्क रहने–सहने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् पुनर्वास इत्यादि सुविधायें प्रदान करके उन्हें आत्म–निर्भर बनाना ।

प्रवेश हेतु प्रक्रियाः 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे जो विधि का उल्लंघन करते हुये पुलिस द्वारा पाये जाते हैं उन्हें पुलिस द्वारा जिला स्तर पर न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में गठित किशोर न्याय बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तथा बोर्ड के आदेश पारित किए जाने पर उक्त गृहों में प्रवेश दिया जाता है।

किशोर न्याय बोर्डः

(1) जिला कुल्लू (आनी उपमण्डल के अलावा) के लिये मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुल्लू की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड कुल्लू ।

(2) जिला किन्नौर, जिला शिमला के रामपुर उपमण्डल, जिला लाहौल–स्पिति के स्पिति उपमण्डल तथा जिला कुल्लू के आनी उपमण्डल के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, रामपुर बुशैहर ।

(3) जिला मण्डी के लिये अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नं0–1) की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड मण्डी ।

(4) जिला कांगड़ा के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नं0–1 धर्मशाला) की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, कांगड़ा ।

(5) जिला सोलन के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड सोलन ।

(6) जिला बिलासपुर के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड बिलासपुर ।

(7) जिला सिरमौर के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड सिरमौर।

(8) जिला हमीरपुर के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नं0–1) की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड हमीरपुर ।

(9) जिला चम्बा के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड चम्बा ।

(10) जिला शिमला के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड शिमला ।

(11) जिला ऊना के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड ऊना ।

12) जिला लाहौल स्पिति में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है।

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊना, शिमला/जिला बाल संरक्षण अधिकरी ऊना, शिमला

4. दत्तक ग्रहण संबन्धी संस्थान/ एजेंसी

(i) शिशु गृह टुटीकण्डी, शिमला
Shishu Grih Tutikandi, Shimla

उद्देश्यः 6 वर्ष से कम आयु के परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चों को देख–रेख एवं संरक्षण प्रदान करना तथा इन बच्चों को दत्तक ग्रहण करवाना।

पात्रताः 6 वर्ष से कम आयु के परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चे यदि किसी परित्यक्त स्थिति में पाये जाते हैं तो ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें हि0 प्र0 बाल कल्याण परिषद शिमला द्वारा टुटीकण्डी, शिमला में संचालित शिशु गृह में प्रवेश दिया जाता है।

सर्म्पक अधिकारीः महासचिव, हि0 प्र0 बाल कल्याण परिषद, क्रेग गार्डन, शिमला–2

(ii) दत्तक ग्रहण एजेंसी

उद्देश्यः 6 वर्ष से कम आयु के परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चों को दत्तक ग्रहण करवा कर विकास के समान अवसर प्रदान करवाना।

पात्रताः 0–4 वर्ष के बच्चों के लिए दम्पति की आयु 90 वर्ष, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 100 वर्ष तथा 8 वर्ष अधिक आयु के बच्चों के लिए दम्पति की आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा दम्पति की मानसिक व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए।

प्रक्रियाः इच्छुक दम्पति दत्तक ग्रहण करने के www.cara.nic.in पर online आवेदन कर सकते हैं । उसके उपरान्त आवेदक की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है । परित्यक्त बच्चों के गृह में उपलब्ध बच्चे के सर्वोत्तम हित के दृष्टिगत सर्वश्रेष्ठ दम्पति को चयनित करके न्यायालय द्वारा कानूनी दत्तक ग्रहण करवाया जाता है।

सम्पर्क अधिकारीः महासचिव, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद् शिमला–2 / सम्बन्धित जिला के जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी।

1. राष्ट्रीय पोषण अभियान

Poshan Abhiyan

पृश्ठ भूमि : माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान का शुभारम्भ 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के जिला झुनझुनू से किया गया । इस अभियान के अन्तर्गत हि0 प्र0 के पॉच जिलों क्रमशः चम्बा, हमीरपुर, शिमला सोलन व ऊना का चयन किया गया । माननीय मुख्य मन्त्री ,हि0 प्र0 द्वारा अभियान का शुभारम्भ जिला सोलन से 14 अप्रैल,2018 को किया गया ।

उद्देश्य : राष्टीय पोषण मिशन का उद्देश्य 0–6 आयुवर्ग के बच्चों में ठिगनेपन को वर्ष 2022 तक राष्टीय स्तर पर 38.4 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना है।

1. बच्चों में ठिगनेपन को रोकना एवं कम करना
2. बच्चों में अल्प–पोषण को रोकना एवं कम करना
3. छोटे बच्चों में रक्ताल्पता को कम करना
4. 15–49 आयुवर्ग की महिलाओं तथा किशोरियों में रक्ताल्पता को कम करना।
5. जन्म के समय कम वजन (एलबीडब्ल्यू) को कम करना

पात्रता : राष्टीय पोषण मिशन के अन्तर्गत 0–6 आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलायें तथा धात्री माताएं ।

गतिविधियां :

- सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित रियल टाइम निगरानी प्रणाली के माध्यम से सेवा प्रदायगी की निगरानी के लिए कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएएस) तथा आईटी संबद्ध सेवा फील्ड पदाधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- डाटा कैपचर करने के लिए सभी पर्यवेक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन प्रदान किए जाएंगे।
- सभी लाभार्थियों जिसमें गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, नवजात शिशु तथा 6 साल तक की आयु के बच्चे शामिल है, का वजन एवं कद को ठीक से रिकॉर्ड करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास निगरानी उपकरण खरीदे जाएंगे।
- विकास निगरानी उपकरणों में इनफैंटो मीटर, स्टैडियो मीटर, वजनमापी (शिशु) तथा वजनमापी (मां एवं बच्चा) शामिल होगें ।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ द्वारा अल्पवजन, ठिगनेपन एवं विकास अवरूद्वता का पता लगाने के लिए सॉफटवेयर ऐप्लीकेशन के माध्यम से हर माह वजन रिकार्ड करेगी तथा हर तीसरे महीने लम्बाई/ऊँचाई रिकार्ड की जायेगी ।
- पोषण अभियान व्यापक भागीदारी के माध्यम से पोषण मे सुधार लाने के ऐजैन्डा को जन आन्दोलन मे परिवर्तित करने पर बल देगा । सामुदायिक संचेतना, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता एवं आई0ई0सी0 एस0, स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संचेतना अभियान, सोशल मिडिया सहित मिडिया का उपयोग, ग्राम सम्पर्क अभियान, स्वेच्छिक कार्य आदि के माध्यम से शुरू किए जाएंगें।
- चिकित्सा जटिलता रहित गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों का सामुदाय आधारित प्रबन्धन दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

सम्पर्क अधिकारी : जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

2. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला)।

Rajeev Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (SABLA)

भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2010 से देश के 200 चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक आधार पर किशोरियों के सर्वांगीण विकास हेतु पोषण कार्यक्रम (एन.पी.ए.जी.) और 'किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.) जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के स्थान पर राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना– सबला योजना आरम्भ की गई । हिमाचल प्रदेश में यह योजना चार जिलों क्रमशः सोलन, कुल्लू, चम्बा तथा कांगड़ा में क्रियान्वित की जा रही है।

उद्देश्यः

(i) आत्म–विकास एवं सशक्तीकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना; (ii) उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना; (iii) स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ए.आर.एस.एच.) और परिवार एवं बाल देख–रेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना; (iv) उनके घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों का उन्नयन करना एवं व्यावसायिक कौशलों हेतु उन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ना; (v) पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना; (vi) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डाक घर बैंक, पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना।

योजना लागत वहनः

पोषण प्रावधानः 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार व 50 प्रतिशत राज्य सरकार।

गैर पोषाहार प्रावधानः 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार (3.8 लाख रूपये प्रति परियोजना प्रतिवर्ष का प्रावधान)

पात्रताः

11 से 18 वर्ष आयुवर्ग की किशोरियां

सहायता एवं सेवाए :

I. **पोषण प्रावधानः** पढ़ाई छोड़ चुकी 11 से 14 वर्ष आयुवर्ग की किशोरियां व 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग की सभी किशोरियां।

II. आयरन फौलिक एसिड अनुपूरण।

III. स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं।

IV. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।

V. परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख पद्वतियां एवं गृह प्रबंधन पर परामर्श/मार्गदर्शन।

VI. जीवन कौशल शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच।

VII. राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम के अतंर्गत 16 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की किशोरियों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण।

प्रकियाः

पात्र किशोरियां आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकरण करवाकर योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकती है।

सम्पर्क अधिकारीः

सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/ पर्यवेक्षिका / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ।

नोटः इस योजना का नाम अब भारत सरकार द्वारा 'किशोरियों के लिए योजना' रखा गया है तथा योजना का लाभ केवल पाठशाला छोड़ चुकी 11 से 14 वर्ष की किशोरियों तक सीमित कर दिया गया है ।

3. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना :

(Beti Bachao Beti Padao)

पृश्ठभूमिः

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना का शुभारम्भ केन्द्र सरकार द्वारा लिंग के अनुपात में समानता लाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, जिसका शुभारम्भ माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले तथा देश के अन्य 100 जिलों में 22 जनवरी 2015 को किया गया। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015 में इस योजना की शुरूआत जिला ऊना से की गई तथा इस समय प्रदेश में 8 जिलों क्रमशः बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, हमीरपुर, ऊना, मण्ड़ी और सिरमौर में यह योजना लागू की जा रही है।

उद्देश्यः

देश में लिंग अनुपात में समानता लाने के लिये तथा बेटियों की सुरक्षा और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया है।

गतिविधियां/सहायताः

1. बालिका के जन्म को जश्न के रूप मे मनाना तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रयास करना ।
2. अपने घरों में जनसंचार अभियान।
3. सभी बालिकाओं को सन्तुलित भोजन चिकित्सा व शिक्षा की सुविधायें प्रदान करना।
4. महिलाओं के प्रति हिंसा, अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीडन पर त्वरित कार्यवाही करना।
5. बालिकाओं को सम्पति व अन्य क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान करने बारे जनसमुदाय में जागरूकता लाना।

सम्पर्क अधिकारीः जिला अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ।

भाग–2
महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं

क) राज्य योजनाएं

1. **मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना**
Mukhya Mantri Kanyadan Yojna

उद्देश्यः बेसहारा महिलाओं/लड़कियों एवं नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्रताः बेसहारा लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, या नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनिया,या उपेक्षित, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रियां या, जिनके पिता शारीरिक/मानसिक विकलांगता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो, जिनके संरक्षकों की वार्षिक आय 35000/– रु0 से अधिक न हो ।

सहायताः 40,000/– रु0 की वित्तीय सहायता ।
51,000/– रु0 नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता ।

प्रक्रियाः इच्छुक महिला निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण पत्र सहित आवेदन कर सकती है।

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाडी कार्यकर्ता ।

2. विधवा पुनर्विवाह योजना
Widow Re-Marriage Scheme

उद्देश्यः विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करना ।

पात्रताः विधवा महिलाएं।
महिला हिमाचल की स्थाई निवासी हों।
महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो।
पुरुष जिसके साथ विवाह होना है की आयु 21 से 50 वर्ष के मध्य हो।

सहायताः दम्पत्ति को 50,000/– रु0 की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।

प्रक्रियाः आवेदन पत्र के साथ विधवा के प्रथम विवाह की तिथि, विधवा होने की तिथि विधवा पुर्नविवाह की तिथि/प्रमाण–पत्र तथा हिमाचली प्रमाण–पत्र जो कि सम्बन्धित कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, संलग्न किये जाने अनिवार्य हैं।

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।

3. मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना
Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna

उद्देश्यः निःसहाय महिलाओं के बच्चे या अनाथ बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो के पालन पोषण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

पात्रताः ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं जो विधवा हों, तलाकशुदा हों, परित्यक्ता हों या जिन के पति दो साल से लापता हों और सम्बन्धित थाना में न मिलने की रिपोर्ट हो या ऐसी निःसहाय महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 35000/– रु0 से कम हो या ऐसे अनाथ बच्चों जिनके अभिभावक जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों या जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 35,000/– रु0 से कम हो ।

सहायताः 5000/– रु0 प्रति बच्चा प्रति वर्ष 18 वर्ष की आयु तक सहायता राशि केवल 2 बच्चों को।

सम्पर्क अधिकारीः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी ।
पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।

4. स्वयं सहायता समूह
Self Help Groups

उद्देश्य : महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण।

पात्रता : सभी इच्छुक महिलाएं ।

सहायता : विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है । समूह के गठन के उपरान्त सभी सदस्यों को बैठकें आयोजित करने/बैठक की कार्यवाही रिकॉर्ड करने/समूह के आय तथा व्यय का लेखा–जोखा तैयार करने आदि बारे आवश्यक सहयोग दिया जाता है । इसके अतिरिक्त समूहों को बैंकों से लोन दिलाने में भी विभाग द्वारा आवश्यक समर्थन दिया जाता है । बैंकों द्वारा रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान।

सम्पर्क अधिकारी :
जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।

5. **नारी सेवा सदन**
State Home

उद्देश्यः 50 वर्ष से कम आयु की बेसहारा महिलाओं को आश्रय देकर उन्हें पुनर्वासित करना।

पात्रताः बेसहारा, असहाय, परित्यक्त एवं ऐसी महिलाएं जो नैतिक खतरे में हों।

प्रवेश हेतु प्रक्रियाः पात्र महिलाएं नारी सेवा सदन में प्रवेश पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन कर सकती हैं जो अपनी रिपोर्ट सहित निदेशक महिला एवं बाल विकास को प्रवेश के लिए भेजेंगे।

सहायताः पात्र महिलाओं को सदन में निःशुल्क भोजन, आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण इत्यादि की सुविधाएं दी जाती हैं। सदन छोड़ने के उपरान्त उन्हें 20,000/– रु0 की पुनर्वास सहायता या शादी के लिए पात्र महिलाओं को 51,000/– रु0 का विवाह अनुदान दिया जाता है ।

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी ।

प्रदेश में संचालित नारी सेवा सदनः मशोबरा (शिमला)

6. स्वयं रोजगार हेतु सहायता
Assistance to Women for Self Employment

उद्देश्य : महिलाओं को आत्म–निर्भर बनाने के लिए काम–धन्धा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रताः ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 35000/– रु0 से अधिक न हो।

सहायताः 5000/– रु0 प्रति महिला आर्थिक सहायता।

प्रक्रियाः इच्छुक महिला निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण–पत्र सहित आवेदन कर सकती है।

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।

7. विशेष महिला उत्थान योजना
Vishesh Mahila Uthan Yojna

उद्देश्यः शारीरिक शोषण से ग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

पात्रता : हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी द्वारा चिन्हित नैतिक खतरों में रह रही महिलाएं ।

प्रक्रिया : नैतिक खतरों में रह रही महिलाओं को विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु नामित करता है।

सहायता : 1. कौशल विकास योजना के अन्तर्गत चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करवाने के उपरान्त प्रशिक्षित महिलाओं को स्व – रोजगार हेतु हि0प्र0 महिला विकास निगम के माध्यम से निम्न दर्शित कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाता हैः

मु0 30000/– तक की परियोजना पर	4%
मु0 30000/– से 50000/– तक	5%
मु0 50000/– से 100000 तक	6%

2. चिन्हित महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु 3000/– रु0 प्रतिमाह व 800/– रु0 टैस्ट शुल्क प्रदान किया जाता है।

सम्पर्क अधिकारी : जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।

8. बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवाएं योजना–2012
Financial Assistance and Support Services to Victims of Rape Scheme-2012

उद्देश्य : यह योजना बलात्कार पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं समर्थन सेवाएं देने के लिए लागू की गई है।

पात्रता : बलात्कार पीड़ित महिला को स्वास्थ्य सेवा, विधि सहायता, शिक्षा प्रदान करना और जागरूक करना/परामर्श देना।

प्रक्रिया : घटना की FIR दर्ज होनी चाहिए, पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण शीघ्र होना चाहिए। उसके उपरान्त सम्बन्धित थाना प्रभारी (SHO) जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 72 घण्टों के भीतर FIR की प्रति व चिकित्सा प्रमाण–पत्र की प्रति जिला बोर्ड जो कि सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित है को प्रेषित करेगा । यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में उसका कानूनी वारिस निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित जिला बोर्ड को आवेदन करेगा।

सहायता : इस योजना के अन्तर्गत 75000 रु0 की आर्थिक सहायता दी जाती है जो कि विशेष परिस्थितियों में एक लाख रु0 तक बढ़ाई जा सकती है।

सम्पर्क अधिकारी : जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।

9. हि0 प्र0 महिला विकास प्रोत्साहन योजना–2013

उद्देश्य : इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिवर्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, समाज सेवा व संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्ति/संगठन को पुरस्कृत किया जाता है।

पात्रता :

1 व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हो/संगठन हि0 प्र0 में कार्य कर रहा हो।

2 व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

3 व्यक्ति/संगठन पिछले पांच वर्षों से महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, समाज सेवा व संस्कृति के क्षेत्र में सराहनीय/उत्कृष्ट कार्यों में संलग्न हो ।

प्रक्रिया:

- पुरस्कार हेतु निर्धारित अवधि कैलेण्डर वर्ष अर्थात् 1 जनवरी से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर तक ली जाएगी ।
- पुरस्कार हेतु आवेदन व्यक्तिगत स्तर पर अथवा गैर–सरकारी संस्था अथवा पंजीकृत सोसाईटी अथवा ट्रस्ट अथवा ग्यारह व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जा सकता है।
- सरकारी महकमों अथवा सरकारी संस्थान द्वारा भी नामों की संस्तुति की जा सकती है।
- प्रतिवर्ष आवेदन की अन्तिम तिथि 31 जनवरी होगी तथा आवेदन निदेशक, महिला एवं बाल विकास अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदक को उसके आवेदन बारे पावती प्रदान की जायेगी ।
- 31 जनवरी तक प्राप्त आवेदनों को सम्बन्धित उपायुक्त को उनकी टिप्पणी/संस्तुतियों हेतु भेजा जायेगा तथा उनकी रिपोर्ट/संस्तुति 15 फरवरी तक निदेशक महिला एवं बाल विकास को भेजी जायेगी। सभी आवेदन पत्रों को विभाग की वैबसाईट पर 7 फरवरी को डाला जायेगा ताकि आम जनता अपने सुझाव विभाग को दे सके ।

पुरस्कार राशि: मु0 21,000/– रुपये एवं प्रशस्ति पत्र को पुरस्कार के रूप मे पात्र व्यक्ति/संगठन को दिया जाएगा ।

सम्पर्क अधिकारी: जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।

10. सशक्त महिला योजना
(Sashkt Mahila Yojna)

उद्देश्य : इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को पंचायत स्तर पर संगठित करके उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरुक कराना, सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत करवाना व कौशल विकास प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना। ''सशक्त महिला योजना'' किशोरियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता व आत्म–सम्मान बढाने के विषयों पर भी जागरुक करेगी।

पात्रता : इस योजना के अन्तर्गत किशोरियॉं जिनकी आयु 11 से 18 वर्ष है तथा महिलाएं जिनकी आयु 19 से 45 वर्ष है, को लाभान्वित करने का प्रावधान है।

प्रकिया : इस योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिला/ब्लाक/पंचायत व ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कॉप्रेटिव बैक, कौशल विकास निगम तथा अन्य सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित कर लागू किया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे अवगत करवाया जायेगा, उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए बैंक से जोड़ा जायेगा तथा उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये उन्हें पर्यटन विभाग, मन्दिर ट्रस्ट, उद्योग विभाग व अन्य अभिकरण से जोड़ा जाएगा, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके व स्वावलम्बी बनकर देश व प्रदेश की प्रगति में सहायक/कारगर सिð gks lds।

सम्पर्क अधिकारी: जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/ पर्यवेक्षेक/आंगनबाडी कार्यकर्ता।

11. महिला कल्याण बोर्ड़
(Mahila Kalyan Board)

पृश्ठभूमिः— हिमाचल प्रदेश महिला कल्याण बोर्ड के गठन के लिए प्रदेश सरकार को अधिसूचना जारी की गई है। इस बोर्ड का गठन माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में किया गया है।

उद्देश्यः— महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण तथा समाज में एक सकारात्मक,आर्थिक व सामाजिक वातावरण का निर्माण कर नीतियों /कार्य्रक्रमों के संचालन तथा अनुश्रवण करना है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण बोर्ड़ की बैठक समय—समय पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में की जाती है, जिसमें महिलाओं के विकास व कल्याण हेतु स्वीकृत फर्मो की समीक्षा की जाती है तथा उनके प्राप्त सुझावों व मुद्दों को सम्बन्धित विभागों को क्रियान्वयन व आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारीः— जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/ पर्यवेक्षेक/आंगनबाडी कार्यकर्ता।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

1. कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण/विस्तार

Construction/Expansion of Hostel Buildings for Working Women

उद्देश्यः अपने घरों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं को सस्ता एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना।

पात्रताः

1. ऐसी कामकाजी महिलाएं जो कि एकल, विधवा, तलाकशुदा, या जो अपने परिवार से अलग रहती हों, तथा ऐसी शादीशुदा महिलाएं जिनका पति किसी दूसरे शहर/स्थान में रहता हो तथा इन महिलाओं की कुल मासिक आय 35000/– रू0 से अधिक न हो । इसके अलावा अपंग महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है।

2. ऐसी महिलाएं जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हों व प्रशिक्षण की अवधि एक साल से ज्यादा न हो। ऐसी महिलाओं की संख्या कुल सीटों के 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।

3. कामकाजी महिला के साथ उसकी 18 वर्ष की आयु तक की पुत्री तथा 5 वर्ष तक का पुत्र ठहराव कर सकता है।

सम्पर्क अधिकारीः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी /बाल विकास परियोजना अधिकारी।

2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
(Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो कि प्रदेश के सभी जिलो मे संचालित की जा रही है । यह योजना 01–01–2017 से प्रभावी है ।

उददे्श्य : मजदूरी की क्षति के बदले मे नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद मे पर्याप्त विश्राम कर सके ।
प्रदान की गई नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं मे स्वस्थ रहने के आचरण मे सुधार होगा ।

योजना का वहन : 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार 10 प्रतिशत राज्य सरकार ।

पात्रता : ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार मे है या जो वर्तमान मे लागू किसी कानून के अर्न्तगत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करवाने वाली माताएं । योजना का लाभ केवल पहले बच्चे तक सीमित है ।

सहायता एवं सेवाएं : गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करवाने वाली माताएं तीन किस्तों में 5,000/–
रूपये नकद लाभ प्राप्त करेगी । इनमें से प्रथम किस्त 1000/–रूपये पंजीकरण के उपरान्त, दूसरी किस्त 2000/रूपये गर्भधारण के 6 मास उपरान्त व तीसरी किस्त 2000/रूपये बच्चे के टीकाकरण प्रथम चक्र पूर्ण करने के उपरान्त दी जाती है । इसके अतिरिक्त लाभार्थी 1000/–रूपये तक का लाभ जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत भी प्राप्त कर सकता है ।

प्रकिया : लाभार्थी पंजीकरण तथा किस्त के दावे के लिए योजना के अर्न्तगत निर्धारित फॉर्म भरने तथा आंगनबाड़ी केन्द्र मे उसे जमा करने पर लाभ प्राप्त कर सकता है ।

सम्पर्क अधिकारी : सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी /पर्यवेक्षिका/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

3. वन स्टॉप सेन्टर :

(One Stop Centre)

पृष्ठभूमिः वन स्टॉप सेन्टर योजना भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी तथा पहले चरण में देश के विभिन्न हिस्सों में 150 वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किये गये थे। इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन में वर्ष 2016–17 में प्रथम वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किया गया।

उद्देश्य : 1. वन स्टॉप सेन्टर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं, तनावग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे निजी और सार्वजनिक स्थानों में एकीकृत सहायता प्रदान की जाती है।

2. महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिसां से लडने के लिए आपातकालीन, गैर आपातकालीन स्थिति में एक ही छत के नीचे चिकित्सीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित ही अन्य सेवायें प्रदान की जाती है।

पात्रता/लक्ष्य समूह : हिसां से प्रभावित सभी महिलाएं एव बालिकायें ।

सेवायें : हिंसा से पीड़ित महिलाओं को वन स्टॉप सेन्टर में निम्नदर्शित सेवायें उपलब्ध करवाई जाती हैः–

1. पुलिस स्टेशन में प्राथमिक सूचना दर्ज करने में सहायता।
2. कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन।
3. खाने–पीने की सुविधा।
4. अस्पताल में इलाज।
5. मनोचिकित्सिय परामर्श सेवायें।
6. रहने–सहने की अल्पकालिक व्यवस्था।
7. विडियो कान्फ्रैसिंग की सुविधा।

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी /बाल विकास परियोजना अधिकारी /पर्यवेक्षक / आंगनबाडी कार्यकर्ता।

4. ''महिला शक्ति केंद्र''
(Mahila Shakti Kendra)

पृश्ठभूमिः केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 से 2019–20 की अवधि में महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए देश भर में महिला शक्ति केन्द्र योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी यह योजना 9 जिलों क्रमशः बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, शिमला, मण्ड़ी, चम्बा, कागड़ा, ऊना और सिरमौर में आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया जायेगा ताकि उनकी पूरी क्षमता का विकास हो सके। इसे देश भर में अधिकतर जिलों में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना के सफल कार्यान्वयन के आधार पर भी आरम्भ किया गया है।

उद्देश्य : योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की देखभाल, संरक्षण और विकास में वृद्धि करना है। इस योजना के अन्तर्गत बच्चों के लिंग अनुपात में सुधार, नवजात बालिका शिशु के बचपन में सुधार व लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है।

पात्रता/लक्ष्य समूह : सभी महिलाएं एव बालिकायें ।

गतिविधियां :

1. बाल लिंग अनुपात को सुधारना ।
2. लड़कियों के अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करना।
3. लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करना।
4. महिलाओं की देखभाल, संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करना।
5. महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण की सुविधाये उपलब्ध करवाना।

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी /बाल विकास परियोजना अधिकारी /पर्यवेक्षक / आंगनबाडी कार्यकर्ता।

भाग–3

निदेशालय महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित अन्य संस्थान

1. **हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग**
H.P. State Commission for Women

उद्देश्यः हिमाचल प्रदेश महिला आयोग अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत आयोग का गठन करके प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना तथा महिलाओं को विकास एवं संरक्षण प्रदान करने बारे राज्य सरकार को सलाह देना इत्यादि ।

मुख्य कार्यः

- महिला सम्बन्धी नीतियों की परीक्षा करके विधिक रक्षा के उपायों का पुर्नावलोकन करना ।
- महिलाओं की शिकायतों को दूर करना ।
- महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण/मूल्यांकन करना।

सम्पर्क अधिकारीः सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, शिमला–171001

2. हि0प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग
HP Commission for Protection of Child Rights.

उद्देश्य : हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 17 में विद्यमान प्रावधानों के दृष्टिगत दिनांक 27–4–2013 को हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।

आयोग के क्रिया कलापः बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य निम्नलिखित हैंः–

क. बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए उस समय प्रचलित किसी कानून के तहत या दिए गए बचाव की जांच और समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना।

ख. इन रक्षात्मक उपायों की कार्यशैली पर प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य अंतरालों पर राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त पाया जाए।

ग. उन सभी कारकों की जांच करना जो आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगों प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एडस, अनैतिक व्यापार, दुर्व्यवहार, यंत्रणा और शोषण, अश्लील चित्रण, तथा वेश्यावृति से प्रभावित बाल अधिकारों का लाभ उठाने का निषेध करते हैं तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

घ. विशेष देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करना, जिसमें तनाव युक्त, उपेक्षित और लाभ वंचित बच्चे, कानून के साथ विवाद रखने वाले बच्चे, किशोर, परिवार के बिना रहने वाले बच्चे और कैदियों के बच्चे शामिल हैं, उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

ड. मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों पर अन्य गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित में इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।

च. बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।

छ. बच्चों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करना।

सम्पर्क अधिकारीः हि0 प्र0, सदस्य सचिव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

3. हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम
H. P. Women Development Corporation

उद्देश्यः महिला उद्यमियों, महिला सहकारी समितियों तथा महिला संगठनों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।

पात्रताः 18 वर्ष आयु से अधिक की महिला जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50000/– रु0 से कम हो।

सहायताः स्वरोजगार स्थापित करने हेतु निम्नलिखित ब्याज दरों पर निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं :–

(1) 30000/– रु0 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण ।

(2) 30,001/– रु0 से 50000/– रू0 से अधिक 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण।

(4) 50,001/– रु0 से अधिक ऋण होने पर मु0 1,00,000 रु0 तक 6 प्रतिशत

(3) व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जैसे जे0 बी0 टी0, नर्सिंग, होटल मैनेजमैंट, एम0 बी0 ए0, एम0 बी0 बी0 एस0, इंजीनियरिंग, एल0 एल0 बी0 तथा बी0 एड0 इत्यादि हेतु 75000/– रु0 तक ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते हैं बशर्ते कि उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रु0 से कम हो।

प्रक्रियाः ऋण के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है जिसके साथ आय तथा हिमाचली प्रमाण–पत्र जो सम्बन्धित कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

सम्पर्क अधिकारीः प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम/सम्बन्धित जिला प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति निगम ।

(ख) प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु कार्यक्रम
Support to Training and Employment Programme

उद्देश्यः महिलाओं की उत्पादकता में वृद्धि करके और उन्हें आय उत्पादन कार्यकलाप शुरू करने के योग्य बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और स्वायत्त बनाना।

पात्रताः सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्य सरकार के समकक्ष अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, संघों, सहकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों जिनकी पंजीकरण की अवधि कम से कम तीन वर्ष हो।

सहायताः पारम्परिक क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, डेरी आदि में प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम के संचालन के लिये 90 प्रतिशत तक अनुदान पात्र संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जाता है । 10 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा अपने संसाधनों में से वहन करनी होती है ।

प्रक्रियाः पात्र संस्थाएं निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक, महिला विकास निगम को भेज सकती हैं । प्रस्ताव राज्य स्तरीय सशक्तिकरण समिति की सिफारिशों के साथ भारत सरकार को भेजे जाते हैं । इस योजना के तहत परियोजना प्रस्ताव 5 वर्ष तक के लिए स्वीकृत किए जाते हैं तथा लाभार्थियों की संख्या 2000 से 10000 के बीच होनी चाहिए ।

सम्पर्क अधिकारीः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, हि0 प्र0 महिला विकास निगम ।

4. हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद्

Himachal Pradesh State Council for Child Welfare

हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद् सोसाईटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर सरकारी संस्था है । यह 1975 में अपने संविधान "Memorandum of Association" स्वरूप में आई । परिषद् का मुख्य उद्देश्य सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों को प्रदेश में कमज़ोर वर्गों जैसे बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों, अनाथ व विकलांग बच्चों के लिए चलाना तथा लागू करना है। इसके लिए परिषद् राज्य व केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करती है । इस विभाग द्वारा परिषद् को मुख्य कार्यालय के प्रशासनिक व्यय तथा बाल/ बालिका गृहों के संचालन हेतु अनुदान सहायता दी जाती है ।

संपर्क अधिकारी : महासचिव/सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद्, क्रैग गार्डन, छोटा शिमला।

5. हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड

Himachal Pradesh State Social Welfare Board

हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन 27 अप्रैल, 1954 को हुआ था। बोर्ड का गठन देश के अन्य राज्य बोर्डों की भांति महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जिसमें कमजोर वर्ग की महिलाओं, बच्चों, अपंगों, बेसहारा वृद्धों, निर्धन महिलाओं एवं समाज की उपेक्षित महिलाओं के कल्याण एवं उत्थान के लिए किया गया था। बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड एवं राज्य सरकार से प्रदेश की स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से उपरोक्त वर्गों के कल्याण हेतु कार्यक्रमों का संचालन करता है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बोर्ड राज्य सरकार एवं केन्द्रीय बोर्ड की आर्थिक सहायता से विभिन्न कल्याकारी योजनाओं का संचालन कर रहा है जिसमें राज्य सरकार के वित्तीय पोषण से बालवाड़ी एवं उद्योग केन्द्रों का संचालन परिवार एवं शिशु कल्याण परियोजनाओं का संचालन, गुज्जर आश्रम का संचालन एवं वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम का संचालन और केन्द्रीय बोर्ड के सहायक अनुदान से पालना घर कार्यक्रम, परिवार परामर्श कार्यक्रम, कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, अभिनव योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं सप्ताह, राष्ट्रीय बालिका दिवस एवं सप्ताह, महिलाओं के लिए महिला मेलों एवं बच्चों के लिए वात्सलय मेलों का अयोजन भी करता है।

संपर्क अधिकारी : सचिव, हि0 प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला–2 ।

भाग–4
अन्य

निदेशालय महिला एवं बाल विकास द्वारा बच्चों व महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यान्वित केन्द्रीय/राज्य अधिनियम :–

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- दहेज प्रतिरोधक अधिनियम, 1961
- अनैतिक देह व्यापार दमन अधिनियम, 1956
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निदान अधिनियम, 2013)
- हि0 प्र0 विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996
- बाल विवाह अवरोधक अधिनियम, 2006
- किशोर न्याय (बच्चों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2006
- हिमाचल प्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण अधिनियम, 1979
- हिमाचल प्रदेश महिला आयोग अधिनियम, 1996

विभिन्न कल्याण क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार

1. महिलाओं के विकास हेतु डॉ0 दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार ।
2. नारी शक्ति पुरस्कार ।
3. राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार।
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पुरस्कार।
5. विशेष उपलब्धियों हेतु बाल पुरस्कार।
6. बच्चों के लिए किये गए विशिष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
7. बच्चों के लिए बहादुरी पुरस्कार।

राज्य पुरस्कार

1. हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना–2013
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पुरस्कार।

बच्चों व महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही नीतियां

1. बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति।
2. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति।

दूरभाष सम्पर्क		
निदेशालय महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित अधिकारी		
अधिकारी	दूरभाष नम्बर (कार्यालय)	फैक्स नम्बर
निदेशक	0177–2622033 2621957	0177–2621957
संयुक्त निदेशक	0177–2623113	0177–2623113
संयुक्त निदेशक	0177–2622003	
उप–निदेशक I, II तथा III	0177–2629763	
सहायक निदेशक (पोषाहार)	0177–2629762	
सहायक नियंत्रक (वित एवं लेखा)	0177–2629762	
कार्यक्रम प्रबन्धक (राज्य बाल संरक्षण समिति)	0177–2629731	
जिला कार्यक्रम अधिकारी		
शिमला	0177–2627360	
सोलन	01792–221934	
सिरमौर	01702–225607	
कांगड़ा	01892–227114	
चम्बा	01899–220307	
बिलासपुर	01978–221514	
मण्डी	01905–223845	
कुल्लू	01902–222105	
हमीरपुर	01972–225085	
ऊना	01975–228499	
किन्नौर	01786–223436	
लाहौल–स्पिति	01900–222862	

बाल विकास परियोजना अधिकारी

क्रम संख्या	पद	कोड	कार्यालय	फैक्स नं0
1.	बा0 वि0 परि0 अ0 रामपुर	01782	233201	233201
2.	बा0 वि0 परि0 अ0 चौपाल	01783	260046	260046
3.	बा0 वि0 परि0 अ0 छौहारा	01781	277242	277242
4.	बा0 वि0 परि0 अ0 कुमारसैन	01782	240049	240049
5.	बा0 वि0 परि0 अ0 जुब्बल	01781	252913	252913
6.	बा0 वि0 परि0 अ0 मशोबरा	0177	2838213	2838213
7.	बा0 वि0 परि0 अ0 रोहड़ू	01781	240585	240585

8.	बा0 वि0 परि0 अ0 ठियोग	01783	237801	237801
9.	बा0 वि0 परि0 अ0 बसन्तपुर	0177	2786759	2786759
10.	बा0 वि0 परि0 अ0 शिमला, शहरी	0177	2673124	2673124
11.	बा0 वि0 परि0 अ0 ननखड़ी	01782	225558	---
12.	बा0 वि0 परि0 अ0 पूह	01785	232246	232246
13.	बा0 वि0 परि0 अ0 निचार	01786	263647	263647
14.	बा0 वि0 परि0 अ0 कल्पा	01786	222466	222466
15.	बा0 वि0 परि0 अ0 नित्थर	01904	265469	265469
16.	बा0 वि0 परि0 अ0 बंजार	01903	222732	222732
17.	बा0 वि0 परि0 अ0 कटराईं	01902	241343	241343
18.	बा0 वि0 परि0 अ0 कुल्लू	01902	223610	223610
19.	बा0 वि0 परि0 अ0 आनी	01904	253068	-
20	बा0 वि0 परि0 अ0 लम्बागांव	01894	228228	228228
21.	बा0 वि0 परि0 अ0 बैजनाथ	01970	245214	245214
22.	बा0 वि0 परि0 अ0 प्रागपुर	01894	263429	263429
23.	बा0 वि0 परि0 अ0 पंचरूखी	01894	254024	254024
24.	बा0 वि0 परि0 अ0 भवारना	01894	232122	232122
25.	बा0 वि0 परि0 अ0 देहरा	01970	234096	234096
26.	बा0 वि0 परि0 अ0 इन्दौरा	01893	242070	242070
27.	बा0 वि0 परि0 अ0 नगरोटा–सूरियां	01893	265385	265385
28.	बा0 वि0 परि0 अ0 नगरोटा बगवां	01892	253734	253734
29.	बा0 वि0 परि0 अ0 कांगड़ा	01892	263651	263651
30.	बा0 वि0 परि0 अ0 नूरपुर	01893	221173	221173
31.	बा0 वि0 परि0 अ0 रैत	01892	239794	239794
32.	बा0 वि0 परि0 अ0 फतेहपुर	01893	256936	256936
33.	बा0 वि0 परि0 अ0 सुलह	01894	200375	200375
34.	बा0 वि0 परि0 अ0 धर्मशाला	01892	222549	
35.	बा0 वि0 परि0 अ0 स्पिति स्थित काजा	01906	222258	222258
36.	बा0 वि0 परि0 अ0 लाहौल स्थित केलांग	01900	222281	222281
37.	बा0 वि0 परि0 अ0 पौंटा साहिब	01704	222286	222286

38.	बा0 वि0 परि0 अ0 संगड़ाह	01702	248110	248110
39.	बा0 वि0 परि0 अ0 पच्छाद	01799	236665	236665
40.	बा0 वि0 परि0 अ0 शिलाई	01704	278586	278586
41.	बा0 वि0 परि0 अ0 नाहन	01702	222077	222077
42.	बा0 वि0 परि0 अ0 राजगढ़	01799	220542	220542
43.	बा0 वि0 परि0 अ0 भरमौर	01895	225074	225074
44.	बा0 वि0 परि0 अ0 चुवाड़ी	01899	266350	266350
45.	बा0 वि0 परि0 अ0 पांगी	01897	242236	242236
46.	बा0 वि0 परि0 अ0 चम्बा	01899	224400	224400
47.	बा0 वि0 परि0 अ0 तीसा	01896	227448	227448
48.	बा0 वि0 परि0 अ0 सलूनी	01896	233436	233436
49.	बा0 वि0 परि0 अ0 मैहला	01899	238013	238013
50.	बा0 वि0 परि0 अ0 गोहर	01907	250276	250276
51.	बा0 वि0 परि0 अ0 करसोग	01907	222252	222252
52.	बा0 वि0 परि0 अ0 मंडी	01905	225540	225540
53.	बा0 वि0 परि0 अ0 गोपालपुर	01905	230655	230655
54.	बा0 वि0 परि0 अ0 सुन्दरनगर	01907	266946	266946
55.	बा0 वि0 परि0 अ0 धर्मपुर	01905	272292	272292
56.	बा0 वि0 परि0 अ0 सिराज	01907	256461	256461
57.	बा0 वि0 परि0 अ0 चौंतड़ा	01908	251224	251224
58.	बा0 वि0 परि0 अ0 रिवालसर	01905	240325	240325
59.	बा0 वि0 परि0 अ0 द्रंग	01908	260189	260189
60.	बा0 वि0 परि0 अ0 धुधंला	01975	206008	206008
61.	बा0 वि0 परि0 अ0 ऊना	01975	225538	225538
62.	बा0 वि0 परि0 अ0 गगरेट	01976	241642	241642
63.	बा0 वि0 परि0 अ0 अम्ब	01976	261205	261205
64.	बा0 वि0 परि0 अ0 हरोली	01975	284211	284211
65.	बा0 वि0 परि0 अ0 धर्मपुर	01792	264037	264037
66.	बा0 वि0 परि0 अ0 नालागढ़	01795	222210	222210
67.	बा0 वि0 परि0 अ0 सोलन	01792	221640	221640
68.	बा0 वि0 परि0 अ0 अर्की	01796	220133	220133
69.	बा0 वि0 परि0 अ0 कंडाघाट	01792	256367	256367

70.	बा0 वि0 परि0 अ0 भोरंज	01972	266039	266039
71.	बा0 वि0 परि0 अ0 हमीरपुर	01972	225642	225642
72.	बा0 वि0 परि0 अ0 बिजड़ी	01972	283597	283597
73.	बा0 वि0 परि0 अ0 सुजानपुर	01972	272856	272856
74.	बा0 वि0 परि0 अ0 नदौन	01972	232199	232199
75.	बा0 वि0 परि0 अ0 टौणी देवी	01972	278393	278393
76.	बा0 वि0 परि0 अ0 घुमारवीं	01978	255346	255346
77.	बा0 वि0 परि0 अ0 सदर, बिलासपुर	01978	222773	222773
78.	बा0 वि0 परि0 अ0 झंडुता	01978	272360	272360